न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-55RAAJodhpur2024-11RTA223 Dhokalram Vs Lrs of Bheekharam etc

धोकलराम पुत्र श्री राजूराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम डऊकियों का बास, चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. भीखाराम पुत्र केहराराम के कायम मुकामः -
   1.1. बाबुराम पुत्र भीखाराम
   1.2. गिरधारी राम पुत्र भीखाराम
   1.3. सोनी पत्नी भीखाराम
2. बगता राम पुत्र केहराराम
3. पदमा राम पुत्र केहराराम
4. विशनाराम पुत्र केहराराम
5. जोधा राम पुत्र ऊर्जाराम के कायम मुकामः -
   5.1. मिश्रीलाल पुत्र जोधाराम
   5.2. मोहनराम पुत्र जोधाराम
   5.3. भानाराम पुत्र जोधाराम
   5.4. जालाराम पुत्र जोधाराम
6. डालाराम पुत्र ऊर्जाराम
7. चुतराराम पुत्र ऊर्जाराम
8. रतनाराम पुत्र
9. चौखाराम पुत्र ऊर्जाराम के कायम मुकामः -
   9.1. कुम्भाराम पुत्र चौखाराम
   9.2. ईश्वरलाल पुत्र चौखाराम
   9.3. जशोदा पुत्री चौखाराम
   9.4. आरती पुत्री चौखाराम
   रेस्पो. संख्या 9/1 व 9/2 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया मामात बरजु पत्नी चौखाराम
   9.5. बरजू पत्नी चौखाराम
10. बिड़दाराम पुत्र कानाराम
11. रामुराम पुत्र नवलाराम
12. नोजी पत्नी नवलाराम

   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम डऊकियों का बास, चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 69/2022 भीखाराम व अन्य बनाम तहसीलदार तिंवरी

उपस्थित-

श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, श्री पवन चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री नरपत चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 01 से 12
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 13

नि र्ण य

दिनांक : 24 जनवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2022 अनवान भीखाराम व अन्य बनाम तहसीलदार तिंवरी में पारित निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 07 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से बारह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2959 रकबा 11.12 बीघा ग्राम डऊकियो का बास, चेराई तहसील तिवंरी के संबंध में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 19546 के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आराजी का रकबा 11.02 बीघा के स्थान पर 22.14 किये जाने का निवेदन किया, जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2022 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी वास्ते अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2959 के पड़ौस में खसरा नं. 2957 रकबा 20.19 बीघा का सहखातेदार काश्तकार है। अपीलांट का रकबा मौके पर 06 बीघा कम पड़ता था जो पत्थरगढी के बाद रकबा 4.10 बीघा कवर हुआ व अभी भी 1.10 बीघा रकबा मौके पर कम है। इसी प्रकार खसरा नं. 2953/1 का राजस्व रेकर्ड में रकबा 7.5 बीघा दर्ज है, किंतु मौके पर 5 बीघा ही है। इसी प्रकार खसरा नं. 2952 का रकबा 23.01 बीघा है, जबकि मौके पर रकबा 17 बीघा ही है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त खसरान् के रकबे को अपीलाधीन निर्णय के जरिये खसरा नं. 2959 के रकबे में 10.05 बीघा बढौतरी सरासर विधि विरुद्ध की गई है, जिससे अपीलांट की भूमि का 9. 16 बीघा रकबा कम हुआ है। अपीलांट व अन्य खातेदारान् का हित प्रभावित होने से उक्त खातेदार मामल मे आवश्यक पक्षकार है। अपीलांट हितबद्ध पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट को विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से उसे अपीलाधीन निर्णय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जानकारी समय पर नहीं हो सकी। हाल ही में दिनांक 24.01.2024 को पटवारी हल्का से मिलने एवं जमाबंदी की नकल लेने पर जानकारी हुई कि नामांतरकरण संख्या 280 दिनांक 26.12.2023 रेस्पोडेंट्स के पक्ष में स्वीकृत होकर रेस्पो. के खसरा का रकबा अभिवृद्धित हुआ, जिस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से संपूर्ण पत्रावली की नकले प्राप्त करने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार फरमायी जावे।

गुणावगुण पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 2959 रकबा 11.12 बीघा भूमि को मौके पर कब्जा अनुसार रेस्पोडेंट्स को रकबा 22.14 बीघा का खातेदार घोषित करने से पूर्व वाद में तनकीयात कायम की जानी चाहिए थी, साक्ष्य ली जानी चाहिए थी, पड़ौसी खातेदार जिनका रकबा कम हो रहा था, उनको भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, परन्तु विचारण न्यायालय न तो वाद में तनकियात कायम की, न ही पड़ौसी खातेदारान् को पक्षकार बनाया गया, न ही वाद पत्र में साक्ष्य लिये गये, न ही मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट रेकर्ड पर ली गई। मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेंटगण को रकबा 11.12 बीघा भूमि के स्थान पर 22 बीघा भूमि का खातेदार घोषित कर दिया गया। विचारण न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते रेस्पो. जोधाराम पुत्र ऊजाराम का देहांत हो चुका था, जिसके वारिसान् को भी रेकर्ड पर नहीं लिया गया एवं मृत व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2959 के पड़ौस में खसरा नं. 2957 रकबा 20.19 बीघा भूमि का सहखातेदार काश्तकार है। अपीलांट का रकबा मौके पर 06

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीघा कम पड़ता है जो पत्थरगढी के बार रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कवर हुआ है व अभी भी रकबा 1.10 बीघा मौके पर कम है। इसी प्रकार खसरा नं. 2953/1 रकबा 7.5 बीघा मौके पर 5 बीघा ही है। खसरा नं. 2952 रकबा 23.1 बीघा का मौके पर रकबा 17 बीघा ही है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना आलौच्य निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि वक्त सेटलमेंट से ही खसरा नं. 2959 का रकबा 11.12 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी रेस्पो. की पुश्तैनी भूमि है तथा जमाबंदी में वर्णित रकबे अनुसार ही रेस्पोडेंटगण मौके पर काबिज है। सेटलमेंट की त्रुटि राजस्व रेकर्ड में दर्ज सेटलमेंट के वक्त होती है तो उसके लिए चारासोही सेटलमेंट कमिश्नर द्वारा ही दूर की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय को बिना सेटलमेंट को पक्षकार बनाये रकबा बढाने या कम करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का रकबा बढाने वक्त किसी अन्य खसरा का रकबा कम नहीं किया है, जिससे राजस्व नक्शे में ऑवरलोप हो रहा है तथा पड़ौसियों का नक्शे अनुसार रेकर्ड मिलान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2022 अनवान भीखाराम व अन्य बनाम तहसीलदार तिंवरी में पारित निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2022 को अपास्त फरमाया जावे ।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार तिंवरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नहीं था, इसलिए उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित,सारहीन एव म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट खसरा नं. 2957 रकबा 20.19 बीघा का सहखातेदार दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के पड़ौसी खसरा नं. 2959 का रकबा अभिवृद्धित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे अपीलांट के अधिकार प्रभावित हुए है। लिहाजा अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार होने से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी ठहरता है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित न होने से उसे अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। न्याय हित में मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स की ओर से धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत वाद में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वाद एवं जवाब के आधार पर मामले में तनकीयात कायमी, पक्षकारान् की साक्ष्य, एवं उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत तनकीवार विवेचन करते हुए मामला के निस्तारण नहीं किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया गया है वादी/रेस्पोडेंट्स के खातेदारी में अभिवृद्धित किया गया रकबा किस खातेदार के हिस्से में कम किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद में पड़ौसी खातेदारान् को भी वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। अपीलांट का कथन है कि मौके पर उसके नाम दर्ज खातेदारी भूमि का रकबा कम है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित कर अपना पक्ष रखने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2022 अनवान भीखाराम व अन्य बनाम तहसीलदार तिंवरी में पारित निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2022 खारिज किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले विधिनुसार पुनः निस्तारण करे। उभय पक्षकारान मूल वाद में कार्यावाही हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18 फरवरी 2025 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर